दिनांक 22.04.2024
प्रेस विज्ञप्ति 23/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मथुरा/थाना वृन्दावन

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये चॉदी के आभूषण**
- **लूटी गयी घड़ी, 02 मोबाइल फोन**
- **चोरी की मोटर साइकिल**
- **02 अन्य मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 21.04.2024 को थाना वृन्दावन व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त मोहित घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटे गये चॉदी के आभूषण, लूटी गयी घड़ी, 02 मोबाइल फोन, चोरी की मोटर साइकिल, 02 अन्य मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना वृन्दावन पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मथुरा के थाना वृन्दावन पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना वृन्दावन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोहित निवासी कैलाश नगर थाना जैत जनपद मथुरा।

<u>बरामदगी</u>

1—लूटे गये चॉदी के आभूषण।

2—लूटी गयी घड़ी, 02 मोबाइल फोन।

3—चोरी की मोटर साइकिल।

4—02 अन्य मोबाइल फोन।

5—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

<u>जनपद हरदोई/थाना अतरौली</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 22.04.2024 को थाना अतरौली, थाना बेनीगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भिरका के जंगल नहर के निकट बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—नवी सरवर घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—श्यामा 3—जाबिर 4—बलवीर 5—इरफान 6—रंजीत 7—राहुल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 05 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 02 मोटर साइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त नवी सरवर के विरूद्ध जनपद अम्बेडकर नगर, अयोध्या, मऊ के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अतरौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नवी सरवर ग्राम जमालपुर थाना घोसी जनपद मऊ हालपता–ग्राम लोरपुर ताजन मरैला थाना कोतवाली शहर जनपद अम्बेडकरनगर।

2–श्यामा निवासी सिन्दरी बालागंज थाना सुभाषनगर जनपद भिलवाडा, राजस्थान।

3–जाबिर निवासी केतारपुर वरसण्डा थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।

4–बलवीर निवासी सूरी माताजी का झोपड़ा थाना डबलाना जनपद बुॅदी, राजस्थान।

5–इरफान निवासी केतारपुर वरसण्डा थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।

6–रंजीत निवासी बड़ागॉव डबलाना जनपद बुॅदी, राजस्थान।

7–राहुल निवासी सूरी माताजी का झोपड़ा थाना डबलाना जनपद बुॅदी, राजस्थान।

बरामदगी

1–05 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–02 मोटर साइकिल।

जनपद मैनपुरी/थाना किशनी

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **22 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **09 जीवित, 05 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 21.04.2024 को थाना किशनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम दाउदपुर के पास ट्यूबेल की आड़ में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1–पूरन उर्फ राजेश 2–अजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 22 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 09 जीवित, 05 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त पूरन उर्फ राजेश हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मैनपुरी के थाना किशनी पर धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना किशनी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पूरन उर्फ राजेश निवासी कमलनेर थाना किशनी जनपद मैनपुरी।

2–अजय निवासी पिपरौली थाना मेहगवां जनपद भिण्ड, म0प्र0।

बरामदगी

1–22 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–09 जीवित, 05 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **जनपद सोनभद्र/थाना चोपन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख 01 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना चोपन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376एबी/323 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त भोला खरवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख 01 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अमरोहा/थाना बछरायूं (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना बछरायूं पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि 04 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुनील को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कुशीनगर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 50 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद कुशीनगर पुलिस ने अभियुक्त साने आलम पुत्र अमीन निवासी हिलाली सराय थाना नखासा जनपद सम्भल द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल सम्पत्ति कीमत करीब 50 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

——————